सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 754 राँची, शुक्रवार

24 आश्विन, 1937 (श०)

16 अक्टूबर, 2015 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

14 अक्टूबर, 2015

विषय- राज्य के तीनों चिकित्सा महाविद्यालयों यथा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान राँची पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद एवं महांत्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर प्रोन्नति / वैचारिक प्रोन्नति / संविदा पर नियुक्ति / आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन / सीनीयर रेजिडेंट / ट्यूटर के पद पर Walk-in-interview के माध्यम से नियुक्ति की दी गई स्वीकृति ।

संख्या- 9 / चि0 महा0–07–11/15-186 (9) राज्य में तीनों चिकित्सा महाविद्यालयों यथा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद एवं महांत्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर संचालित है । भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में रिक्त पदों पर कार्यबल नहीं रहने के कारण एम0सी0आई0 द्वारा मेडिकल कॉलेजों

में एम०बी०बी०एस० के सीटों की संख्या को बार-बार घटाने एवं मान्यता समाप्त होने की आशंका तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में सुयोग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अधोलिखित निर्णय लिये गये हैः-

1. अहर्ता प्राप्त सेवानिवृत पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने हेतु उम्रसीमा 70 वर्ष करने एवं बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्राध्यापक -94000-141000 (अधिकतम), सह प्राध्यापक-50000-94000 (अधिकतम) सहायक प्राध्यापक-47000-91000 (अधिकतम) पेंशन के अतिरिक्त दिये जाने की स्वीकति दी गई है । इस निमित्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4569 दिनांक 5 जुलाई, 2002, संकल्प संख्या-965 दिनांक 25 मार्च, 2009 एवं संकल्प संख्या-995 दिनांक 20 अप्रैल, 2013 को इस हद तक संशोधित की गई है ।
2. पूर्व की भांति रिक्त पदों को भरने हेतु निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने पर Notional Promotion पूर्व की तिथि से दी गई है ताकि पूर्व की तिथि से अवधि की गणना कर एक साथ आगे की प्रोन्नति दी जा सके । यह छुट मात्र एक बार के लिए दी गई है । इस निमित्त बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं इसके संवर्गीय पदों पर भर्ती नियमावली 1997 के नियम – 8 (ii) (क) (ख) (घ) को इस हद तक संशोधित की गई है ।
3. चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों की तकनीकी विशिष्टता एवं उन पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कराने अथवा प्रोन्नति के समय पद रिक्त रहने के बावजूद अहर्ता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण पद रिक्त रह जा रहा था । पद रिक्त रहने के कारण एम0सी0आई0 द्वारा बढ़े हुए सीट को कम कर दिया गया था एवं हमेशा मान्यता समाप्त किये जाने की भी आशंका बनी रहती थी । “झारखण्ड़ पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों

के लिये) अधिनियम, 2001" की धारा (3) के अनुसार यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगाः-

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) सेवारत सरकारी सेवक का मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति; और

(ङ) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं।

उक्त पदों की तकनीकी विशिष्टता तथा अहर्ता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं होने को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा (3) (ङ) के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों की नियुक्ति / प्रोन्नति में यह अधिनियम लागू नहीं होगा ।

4. वरीय रेजिडेंट एवं ट्यूटर के रिक्त पदों को Walk-in-interview के माध्यम से प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियुक्ति की जायेगी । इस समिति में निदेशक, रिम्स, अधीक्षक, रिम्स, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, धनबाद एवं एम0जी0एम0सी0एच0, जमशेदपुर, अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद एवं एम0जी0एम0सी0एच0, जमशेदपुर, कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी तथा इस प्रशाखा के प्रभारी संयुक्त सचिव / उप सचिव सदस्य होंगे । इस निमित्त "बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं इसके सम्वर्गीय पदों पर भर्ती नियमावली 1997 के नियम-8 (i) " को इस हद तक संशोधित की गई है ।

5. प्राध्यापक के रिक्त पदों को सह - प्राध्यापक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरने एवं प्रोन्नति के उपरान्त रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है । इस निमित्त बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं इसके सम्वर्गीय पदों पर भर्ती नियमावली 1997 के नियम – 8 (ii) (घ) को इस हद तक संशोधित की गई है ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
के० विद्यासागर,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 754—50 ।